

C/100 22/2022

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार  
पालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्रशासन गांवों के संग अधिवान 2021

प्रार्थी के "खातादुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी सांवतसर  
भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सांवतसर तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सांवतसर	460/3	गाम सांवतसर के स.न. 460/3 रकबा 0.7443 राजस्व नम्बर में बिना किसी विधिक आदेश के खिसकन से अशुद्ध हो गया है अतः जमाबन्दी में वर्गित रकब को अपरिवर्तित रखते हुए गाम सांवतसर के स.न. 460/3 वर्तमान में स्थूल भू-जो कि अशुद्ध है को पूर्व जमाबन्दी व नम्बरानुसार	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है

शुद्ध किया जाता है

शिक्षित प्रभारी अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 128

दिनांक :- 7-1-2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर